प्रकाशन हेतु अनुमोदित

<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर</u>

<u>रिट याचिका क्रमांक 7222 वर्ष 2009</u>

<u>याचिकाकर्ता</u> : डॉ. (मेजर) ठाकुर अजित सिंह और अन्य

बनाम

<u>उत्तरवादी</u> : छत्तीसगढ़ शासन एवं अन्य

दिनांक 27-09-2010 को निर्णय हेतु सूचीबद्ध करें

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हस्ताक्षरित

सतीश के अग्निहोत्री

न्यायाधीश

<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर</u>

<u>रिट याचिका(सी) क्रमांक 7222 वर्ष 2009</u>

याचिकाकर्ता : डॉ. (मेजर) ठाकुर अजित सिंह और अन्य

बनाम

उत्तरवादी : छत्तीसगढ़ शासन एवं अन्य

<u>भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका</u>

<u>एकलपीठ : माननीय श्री सतीश के अग्निहोत्री, न्यायाधीश</u>

उपस्थित : श्री राजीव श्रीवास्तव, याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता

श्री एम.पी.एस. भाटिया, शासन/उत्तरवादी की ओर से उप-महाधिवक्ता

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>आदेश</u>

(दिनांक 21-09-2010 को उद्घोषित)

1. इस याचिका के माध्यम से, याचिकाकर्ता द्वारा न्यायालय से आग्रह किया गया है कि अत्तरवादियों को निर्देशित किया जाए की वे याचिकाकर्ता क्रमांक 3 को शिक्षा शुल्क के भुगतान से छूट दें और इसके अलावा, याचिकाकर्ता क्रमांक 3 के मामले में याचिकाकर्ता क्रमांक 1 द्वारा भुगतान की गई शिक्षा शुल्क की पूरी राशि 17% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ वापस करें।

2. संक्षेप में, निर्विवाद तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता क्रमांक 3, याचिकाकर्ता क्रमांक 1 और 2 की पुत्री है। याचिकाकर्ता क्रमांक 3 को दिनांक 31.08.2007 को छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान (संक्षेप में 'सिम्स ') में एमबीबीएस पाठ्यक्रम में दाखिला मिला था और वह एमबीबीएस पाठ्यक्रम कर रही है। याचिकाकर्ता क्रमांक 1 को परिवार नियोजन ऑपरेशन कराने के कारण ग्रीन कार्ड प्रदान किया गया था। इस प्रकार, याचिकाकर्ता क्रमांक 3, दिनांक 30.11.1989 के परिपत्र(अनुलग्नक P/1) के तहत, मेडिकल/इंजीनियरिंग

पाठ्यक्रम में शुल्क के भुगतान से छूट की हकदार हो गई। मेडिकल/इंजीनियरिंग कॉलेजों के लिए शिक्षा शुल्क के भुगतान से छूट देने का प्रावधान भी ग्रीन कार्ड (अनुलग्नक पी/2) में स्पष्ट रूप से किया गया था। याचिकाकर्ता क्रमांक 1 द्वारा ग्रीन कार्ड धारकों के लिए सरकारी नीति के अनुसार प्रतिवादी क्रमांक 3 को 1,98,000/- रुपये (भुगतान कोटा) की शिक्षा शुल्क के भुगतान से छूट देने के लिए एक अभ्यावेदन दिया गया । इसके बाद दिनांक 24.07.2009, 01.06.2009, 24.06.2009 को एक अनुस्मारक भी भेजा गया। याचिकाकर्ता क्रमांक 1 को पत्र दिनांकित 17.07.2009 (अनुलग्नक पी/4) के तहत शिक्षा शुल्क में छूट देने के संबंध में राज्य सरकार का आदेश प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। याचिकाकर्ता क्रमांक 1 ने पत्र दिनांक 24.07.2009 (अनुलग्नक पी/5) के द्वारा दिनांक 30.11.1989 के परिपत्र की प्रति उपलब्ध कराई। याचिकाकर्ता क्रमांक 1 ने दिनांक 27.10.2009 को सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य, परिवार कल्याण एवं चिकित्सा शिक्षण विभाग को एक अभ्यावेदन दिया (अनुलग्नक P/8)। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, उन्हें कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली। अतः यह याचिका प्रस्तुत की गई।

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री राजीव श्रीवास्तव ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता क्रमांक 3, परिपत्र दिनांक 30.11.1989 के तहत एमबीबीएस पाठ्यक्रम में शिक्षा शुल्क के भुगतान से छूट का हकदार है। सिम्स को राज्य सरकार ने दिनांक 01.12.2007 को अधिग्रहित कर लिया और इस तरह, सिम्स एक शासकीय मेडिकल कॉलेज बन गया। श्री श्रीवास्तव ने आगे तर्क दिया कि याचिकाकर्ता क्रमांक 3, उपरोक्त परिपत्र और ग्रीन कार्ड के अनुसार शिक्षा शुल्क की वापसी का हकदार है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि याचिकाकर्ता क्रमांक 3 को भुगतान सीट पर दाखिला नहीं दिया गया था। परिपत्र दिनांक 30.11.1989 को न तो बदला गया है, न संशोधित किया गया है और न ही रद्द किया गया है। इस प्रकार, यह याचिकाकर्ता क्रमांक 3 के मामले पर भी लागू होता है। वह नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर के डीन द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अधीन प्रस्तुत की गई जानकारी का अवलंब लेंगे, जिसमें डॉ. प्रियंका खंडेलवाल ने 1 लाख रुपये का भुगतान किया था और भुगतान सीट पर उन्हें भर्ती किया गया था। हालाँकि, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के तहत दिनांक 11.08.2004 को *प्रियंका खंडेलवाल बनाम मध्य प्रदेश शासन एवं अन्य1* मामले में, याचिकाकर्ता को शिक्षा शुल्क के भुगतान से छूट दी

गई थी। वह आगे इस न्यायालय द्वारा दिनांक 05.02.2010 को *राजेश कुमार अग्रवाल बनाम छत्तीसगढ़ शासन एवं अन्य2* में पारित निर्णय और दिनांक 23.01.2004 को डॉ. *डी.आर.बी. त्रिवेदी बनाम मध्य प्रदेश शासन एवं अन्य3*, दिनांक 23.02.2004 को *डॉ. रेणु चौहान बनाम मध्य प्रदेश शासन एवं अन्य4* में पारित निर्णयों का अवलंब लेंगे, जो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, ग्वालियर की पीठ द्वारा पारित किए गए थे।

4. दूसरी ओर, शासन/उत्तरवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता क्रमांक 3 ने भुगतान सीट पर दाखिला लिया है। छूट का लाभ केवल उन्हीं अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है जिन्हें शासकीय कॉलेजों में निःशुल्क सीट पर दाखिला दिया गया था। जब याचिकाकर्ता क्रमांक 3 ने एमबीबीएस पाठ्यक्रम में दाखिला लिया था, तब सिम्स का प्रबंधन और संचालन गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर द्वारा किया जाता था और शुल्क अनुसूची विश्वविद्यालय द्वारा तय की जाती थी। इसके बाद दिनांक 01.12.2007 को सिम्स को राज्य सरकार ने अधिग्रहित कर लिया। चिकित्सा शिक्षा निदेशक ने अपने आदेश दिनांक 21.07.2008 (अनुलग्नक R/1) द्वारा रायपुर, जगदलपुर और बिलासपुर के सभी सरकारी कॉलेजों में 39,000/- रुपये की शिक्षा शुल्क निर्धारित किया है। इस प्रकार, याचिकाकर्ता किसी भी छूट के हकदार नहीं हैं और याचिका खारिज की जानी चाहिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. इसके बाद, दिनांक 26.6.2010 के शपथ पत्र में राज्य सरकार ने इस दृष्टिकोण को अपनाया कि याचिकाकर्ता क्रमांक 3 शिक्षा शुल्क में छूट की हकदार नहीं है क्योंकि उसके पिता, यानी याचिकाकर्ता क्रमांक 1 के पास तत्कालीन मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी ग्रीन कार्ड था। छत्तीसगढ़ शासन ने संयुक्त निदेशक, निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा को संबोधित दिनांक 22.04.2008 के पत्र (अनुलग्नक R/2) के आधार पर शिक्षा शुल्क के भुगतान से छूट के संबंध में न तो कोई आदेश जारी किया है और न ही कोई परिपत्र जारी किया है।

6. मैंने पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है, दलीलों और संलग्न आलेखों का अवलोकन किया है।

7. छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी दिनांक 31 अक्टूबर, 2002 के परिपत्र द्वारा शासन ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अविभाजित मध्य प्रदेश शासन द्वारा दिनांक 31.10.2000 से पहले जारी किए गए सभी परिपत्र

छत्तीसगढ़ शासन में तब तक लागू होंगे जब तक कि शासन द्वारा उन्हें रद्द या संशोधित नहीं किया जाता है। शासन द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है जो यह निर्दिष्ट करता हो कि शासन द्वारा संयुक्त संचालक, चिकित्सा शिक्षा को संबोधित दिनांक 31.11.1989 के परिपत्र को कभी रद्द किया गया हो, राज्य सरकार ने संयुक्त निदेशक, चिकित्सा विभाग को संबोधित पत्र दिनांक 29.02.2008(अनुलग्नक r/1) के दृष्टिकोण को दोहराया है, जैसा कि परिपत्र दिनांक 31.10.2002 को जारी किया गया है।

8. दिनांक 30.11.1989 के परिपत्र में मेडिकल/इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिला के मामले में शिक्षा शुल्क के भुगतान में छूट प्रदान करने का प्रावधान है, जो अन्य बातों के साथ-साथ निम्नानुसार है:

विषय– ग्रीन कार्ड धारकों को सुविधाएं मुहैया कराने बाबत्।

राज्य शासन के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अर्द्धशासकीय पत्र कमांक 2–8–83–सहत्र–मेडि 5, दिनांक 5–1–1985, द्वारा आदेश दिये गये हैं कि परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रीन–कार्ड धारकों की योजना दिनांक 26–1–1985 से लागू की जाये।

xxx xxx xxx

xxx xxx xxx

xxx xxx xxx

(4) मेडिकल/इंजीनियरिंग प्रशिक्षण में शुल्क माफ।

xxx xxx xxx

xxx xxx xxx

xxx xxx xxx

शासन के पास अनेकों शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि ग्रीन–कार्ड धारकों को उपरोक्त सुविधाएं सुलभ नहीं हो पा रही हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि आप व्यक्तिगत रूचि लेकर अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देशित करें। ग्रीन–कार्ड धारकों को विभाग से सम्बन्धित सुविधाएं निश्चित रूप से उपलब्ध कराई जावें।

भारत शासन के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय ने भी असन्तोष व्यक्त करते हुए लिखा है कि अनेक ग्रीन–कार्ड धारक आज भी सुविधाओं से वंचित है।

मैं आपसे पुनः अनुरोध करना चाहूंगा कि आप सम्बन्धितों को तत्सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश प्रदान करें।

(लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संचालनालय म.प्र.क्र. 3/14155/14304, दिनांक 30–11–1989)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. निर्विवाद रूप से, याचिकाकर्ता क्रमांक 1 एक ग्रीन कार्ड धारक है और इस प्रकार, परिपत्र दिनांक 30.11.1989 के अनुसार वह याचिका क्र.3 जिसका दाखिला मेडिकल कॉलेज में हुआ था, के लिए शिक्षा शुल्क के भुगतान में छूट के लाभ के हकदार हैं ।

10.यह प्रश्न कि याचिकाकर्ता क्रमांक 3 को भुगतान सीट के तहत दाखिला करवाया गया था या नहीं, यह याचिकाकर्ता क्रमांक 1 द्वारा सिम्स के डीन को दिनांक 26.03.2009 को लिखे गए पत्र (अनुलग्नक पी/3) से स्पष्ट रूप से इंगित होता है, कि याचिकाकर्ता क्रमांक 3 को 1,98,000/- रुपये (भुगतान कोटा) की शिक्षा शुल्क के भुगतान पर दाखिला दिया गया था। हालांकि, तथ्य यह है कि उसे एक मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिलवाया गया था और इस तरह, वह दाखिला के लिए शिक्षा शुल्क के भुगतान से छूट की हकदार हो सकती है, सरकार द्वारा शासकीय मेडिकल कॉलेजों के लिए शिक्षा शुल्क की तय की गई सीमा तक, परंतु उससे अधिक नहीं। यह भी विवादित नहीं है कि सिम्स को राज्य शासन ने 1 दिसंबर 2007 को अधिग्रहित कर लिया था और याचिकाकर्ता क्रमांक 3 को दिनांक 31 अगस्त 2007 को दाखिला दिया गया था। याचिकाकर्ता क्रमांक 3 को केवल 1 दिसंबर 2007 से आनुपातिक रूप से शिक्षा शुल्क के भुगतान से छूट का अधिकार होगा, उससे पहले नहीं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11.राज्य सरकार ने अविभाजित मध्य प्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी दिनांक 11.01.1985 के परिपत्र दाखिल किए हैं, जिनमें से एक परिपत्र में शासकीय सेवा में नियुक्ति के मामले में 5% अतिरिक्त अंक दिए जाने का प्रावधान था, दूसरे परिपत्र में नियुक्ति में अनुदान या प्राथमिकता का प्रावधान था और तीसरे परिपत्र में अधिकतम आयु में 2 वर्ष की छूट का उल्लेख था। उक्त परिपत्र इस मामले से संबंधित तथ्यों पर लागू नहीं होते। तथापि, यह विवादित नहीं है कि वर्तमान मामला परिपत्र दिनांक 30.11.1989 (अनुलग्नक पी/1) द्वारा आच्छादित है और इसकी वैधता छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 31.10.2002 द्वारा स्वीकार की गई है, क्योंकि यह शासन/उत्तरवादियों का मामला नहीं है कि किसी निश्चित समय में, परिपत्र दिनांक 31.10.2002, जिसने अविभाजित मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 31.11.1989 को अपनाया,को रद्द किया, संशोधित या निरस्त कर दिया गया।

12.इस प्रकार, मैं बिना किसी हिचकिचाहट के यह अभिनिर्धारित करता हूं कि याचिकाकर्ता दिनांक 30.11.1989 के परिपत्र (अनुलग्नक पृष्ठ 1) के लाभ के हकदार हैं।

13.श्री राजेश कुमार अग्रवाल (सुप्रा) मामले में इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा दिनांक 05.04.2010 को पारित किए गए निर्णय पर याचिकाकर्ताओं का अवलंब, मामले के तथ्यों के लिए सुसंगत नहीं है। याचिकाकर्ता ने सिम्स को

भुगतान की गई राशि की वापसी का दावा नहीं किया है, बल्कि शिक्षा शुल्क की वापसी का दावा किया है, जिसकी याचिकाकर्ता क्रमांक 3, याचिकाकर्ता क्रमांक 1 (ग्रीन कार्ड धारक) की पुत्री होने के कारण हकदार है।

14.उपर्युक्त कारणों से, रिट याचिका स्वीकार की जाती है। याचिकाकर्ता क्रमांक 3, परिपत्र दिनांक 30.11.1989 (अनुलग्नक पी/1) के अनुसार शिक्षा शुल्क की राशि में छूट/वापसी की हकदार है, जिसे राज्य सरकार द्वारा उस तिथि से निर्धारित किया गया है, जब सिम्स को राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहित किया गया था और यह एक शासकीय मेडिकल कॉलेज बन गया था।

15.वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

हस्ताक्षरित

श्री सतीश के अग्निहोत्री

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजन हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated by : Advocate Aatish Mishra